THE SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT:

1. What are the various offences and punishments prescribed for such offences under this Act?

Ans. Punishments for offences of atrocities.—

(1) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(i) forces a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance;

ii) acts with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by dumping excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his premises or neighbourhood;

(iii) forcibly removes clothes from the person of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or parades him naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity;

(iv) wrongfully occupies or cultivates any land owned by, or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or gets the land allotted to him transferred;

(v) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights over any land, premises or water;

(vi) compels or entices a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do ‘begar’ or other similar forms of forced or bonded labour other than any compulsory service for public purposes imposed by Government;

(vii) forces or intimidates a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe not to vote or to vote to a particular candidate or to vote in a manner other than that provided by law;

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

प्रश्न इस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध और उनकी सजाएं क्या निर्धारित की गई हैं?

उत्तर अत्याचार के अपराधों के लिए दंड –

1. कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इक्टठा करके उसे क्षति पहुँचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा;

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरूद्ध है;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उस आवंटित भूमि को अंतरित करा लेगा;

(ड.) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को "बेगार" करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा;

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा;

(viii) Institutes false, malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceedings against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ix) gives, any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(x) Intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;

(xi) assaults or uses force to any woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe with intent to dishonour or outrage her modesty

(xii) being in a position to dominate the will of a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and uses that position to exploit her sexually to which she would not have otherwise agreed;

(xiii) corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;

(xiv) denies a member 01 a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstructs such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any section thereof have a right to use or access to;

(xv) forces or causes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to leave his house, village or other place of residence, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध मिथ्या द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा;

(झ) किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुँचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा;

(ञ) जनता को दष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा;

(थ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा;

(द) किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्‌गम के जल को, जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है;

(ध) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे किसी सदस्य को बाधा पहुँचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहाँ पहुँचने से निर्वारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुँचने का अधिकार है;

(ड.) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास–स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(i) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is capital by the law for the lime being in force shall be punished with imprisonment for life and with fine; and if an innocent member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence, shall be punished with death;

(ii) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is not capital but punishable with imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or upwards and with fine;

(iii) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to a .member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(iv) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a place for human dwelling or as a place & custody of the property by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

(v) commits any offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) punishable with imprisonment for a term of ten years or more against a person or property on the ground that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

कोई व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है —

क) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए, जो तत्समय प्रवृत विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्धि होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा, और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है, और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा।

ख) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्धि होना संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा;

ग) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पति को नुक्सान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

घ) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणत पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

ड.) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पति के विरूद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(vi) knowingly or having reason to believe that an offence has been committed under this Chapter, causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, shall be punishable with the punishment provided for that offence; or

(v) being a public servant, commits any offence under this section, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

5. Punishment for neglect of duties.—

Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, willfully neglects his duties required to be performed by him under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year.

6. Enhanced punishment for subsequent conviction—

Whoever, having already been convicted of an offence under this Chapter is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

1. What are the provisions pertaining to compensation for the victims of offences under this Act?

Ans. The provisions pertaining to compensation for the victims of offences are provided under Rule 11 and 12 alongwith Annexure I of the Rules, 1995.

2. What are the provisions governing bail for offences committed under this Act?

Ans. The provisions of Section 438 Cr.P.C regarding anticipatory bail are not applicable in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this Act.

च) यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी, को, विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा, या

छ) लोकसेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगी।

प्रश्न कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड –

उतर कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

प्रश्न सजा बढ़ाने का प्रावधान -

उतर यदि कोई व्यक्ति इस कानून के अर्न्तगत एक से अधिक बार अपराध करने का दोषी पाया जाता है तो उसे एक वर्ष की न्यूनतम सजा दी जा सकती है। जो भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत उस अपराध कि सजा के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है।

प्रश्न इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराधों के शिकार लोगों के मुआवजे सम्बन्धी क्या प्रावधान हैं ?

उतर अपराधों के शिकार लोगों के मुआवजे सम्बन्धी प्रावधान नियम 11 और 12 के साथ–साथ 1995 के नियमों के अनुबंध 1 में दिए गए हैं।

प्रश्न इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराधों के संबंध में जमानत का क्या प्रावधान है?

उतर इस अधिनियम के तहत अपराध में शामिल व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कोई भी अदालत अग्रिम जमानत का आदेश पारित नहीं कर सकती।